पत्र संख्या– 1/प्रा0आ0–0–3–12/2017................../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार भा0प्र0से0,
अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–

विषयः– **वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष –02–बाढ़ –चक्रवात आदि, लघु शीर्ष –101– आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष –0016– राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान विपत्र कोड–39–2245021010016 मद में कुल ₹908.00 लाख (नौ करोड़ आठ लाख रूपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत** ।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष –2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष –02–बाढ़ –चक्रवात आदि, लघु शीर्ष –101– आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष –0016– राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. वर्त्तमान आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष / उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष –101– आनुग्रहिक राहत ।

उपशीर्ष –0016– राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओ से राहत हेतु अनुदान

मांग संख्या– 39 विस्तृत शीर्ष– 37–अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष– 01–अनुग्रह अनुदान

(राशि रूपये लाख में)

क्र0	जिला का नाम	पूर्व आवंटित राशि	वर्त्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	पटना	20.00 (बीस लाख)	16.00 (सोलह लाख)	36.00 (छत्तीस लाख)
2	भोजपुर	140.00 (एक करोड़ चालीस लाख)	16.00 (सोलह लाख)	156.00 (एक करोड़ छप्पन लाख)
3	बक्सर	36.00 (छत्तीस लाख)	16.00 (सोलह लाख)	52.00 (बावन लाख)
4	सारण	12.00 (बारह लाख)	28.00 (अठाईस लाख)	40.00 (चालीस लाख)
5	सीवान	20.00 (बीस लाख)	24.00 (चौबीस लाख)	44.00 (चौवालीस लाख)
6	गोपालगंज	0.00 (शून्य)	24.00 (चौबीस लाख)	24.00 (चौबीस लाख)
7	मुजफ्फरपुर	8.00 (आठ लाख)	24.00 (चौबीस लाख)	32.00 (बत्तीस लाख)
8	वैशाली	24.46 (चौबीस लाख छियालीस हजार)	36.00 (छत्तीस लाख)	60.46 (साठ लाख छियालीस हजार)
9	सीतामढ़ी	36.127 (छत्तीस लाख बारह हजार सात सौ)	24.00 (चौबीस लाख)	60.127 (साठ लाख बारह हजार सात सौ)
10	शिवहर	12.00 (बारह लाख)	24.00 (चौबीस लाख)	36.00 (छत्तीस लाख)
11	पूर्वी चम्पारण	72.00 (बहत्तर लाख)	44.00 (चौवालीस लाख)	116.00 (एक करोड़ सोलह लाख)
12	पश्चिम चम्पारण	8.00 (आठ लाख)	48.00 (अड़तालीस लाख)	56.00 (छप्पन लाख)
13	दरभंगा	32.00 (बत्तीस लाख)	24.00 (चौबीस लाख)	56.00 (छप्पन लाख)
14	मधुबनी	36.00 (छत्तीस लाख)	24.00 (चौबीस लाख)	60.00 (साठ लाख)
15	समस्तीपुर	8.00 (आठ लाख)	36.00 (छत्तीस लाख)	44.00 (चौवालीस लाख)
16	बेगूसराय	92.00 (बानवे लाख)	24.00 (चौबीस लाख)	116.00 (एक करोड़ सोलह लाख)

17	खगड़िया	0.00 (शून्य)	24.00 (चौबीस लाख)	24.00 (चौबीस लाख)
18	मुंगेर	12.00 (बारह लाख)	24.00 (चौबीस लाख)	36.00 (छत्तीस लाख)
19	लखीसराय	8.00 (आठ लाख)	24.00 (चौबीस लाख)	32.00 (बत्तीस लाख)
20	भागलपुर	36.00 (छत्तीस लाख)	32.00 (बत्तीस लाख)	68.00 (अड़सठ लाख)
21	सहरसा	176.774 (एक करोड़ छिहत्तर लाख सतहत्तर हजार चार सौ)	24.00 (चौबीस लाख)	200.774 (दो करोड़ सतहत्तर हजार चार सौ)
22	मधेपुरा	52.043 (बावन लाख चार हजार तीन सौ)	32.00 (बत्तीस लाख)	84.043 (चौरासी लाख चार हजार तीन सौ)
23	सुपौल	8.00 (आठ लाख)	24.00 (चौबीस लाख)	32.00 (बत्तीस लाख)
24	पूर्णियाँ	288.086 (दो करोड़ अठासी लाख आठ हजार छः सौ)	24.00 (चौबीस लाख)	312.086 (तीन करोड़ बारह लाख आठ हजार छः सौ)
25	कटिहार	0.00 (शून्य)	24.00 (चौबीस लाख)	24.00 (चौबीस लाख)
26	अररिया	96.86 (छियानवे लाख छियासी हजार)	24.00 (चौबीस लाख)	120.86 (एक करोड़ बीस लाख छियासी हजार)
27	किशनगंज	0.00 (शून्य)	24.00 (चौबीस लाख)	24.00 (चौबीस लाख)
28	नालंदा	48.17 (अड़तालीस लाख सतरह हजार)	16.00 (सोलह लाख)	64.17 (चौसठ लाख सतरह हजार)
29	गया	36.172 (छत्तीस लाख सतरह हजार दो सौ)	16.00 (सोलह लाख)	52.172 (बावन लाख सतरह हजार दो सौ)
30	नवादा	0.00 (शून्य)	16.00 (सोलह लाख)	16.00 (सोलह लाख)
31	जहानाबाद	112.00 (एक करोड़ बारह लाख)	16.00 (सोलह लाख)	128.00 (एक करोड़ अठाईस लाख)
32	औरंगाबाद	0.00 (शून्य)	16.00 (सोलह लाख)	16.00 (सोलह लाख)
33	रोहतास	28.00 (अठाईस लाख)	16.00 (सोलह लाख)	44.00 (चौवालीस लाख)
34	बाँका	20.00 (बीस लाख)	16.00 (सोलह लाख)	36.00 (छत्तीस लाख)
35	कैमूर	24.00 (चौबीस लाख)	16.00 (सोलह लाख)	40.00 (चालीस लाख)
36	शेखपुरा	0.00 (शून्य)	16.00 (सोलह लाख)	16.00 (सोलह लाख)
37	जमुई	8.00 (आठ लाख)	36.00 (छत्तीस लाख)	44.00 (चौवालीस लाख)
38	अरवल	8.30 (आठ लाख तीस हजार)	16.00 (सोलह लाख)	24.30 (चौबीस लाख तीस हजार)
कुल योग		**1506.992 (पंद्रह करोड़ छः लाख निन्यानवे हजार दो सौ)**	**908.00 (नौ करोड़ आठ लाख)**	**2414.992 (चौबीस करोड़ चौदह लाख निन्यानवे हजार दो सौ)**

4. यह आवंटन राज्य की स्थानीय प्रकृति की घटित होने वाली आपदाओं के मद्देनजर निर्गत किया जा रहा है। इस आवंटन से राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से मृत व्यक्तियों हेतु राशि का भुगतान कर मृतकों का नाम, पता, घटना की तिथि, स्थान सहित विस्तृत विवरणी से संबंधित सूचना विभाग को अविलंब उपलब्ध करायी जाय, जिसमें इसका अवश्य उल्लेख किया जाय कि इसी आवंटन से मृतकों हेतु भुगतान किया गया है। **संबंधित जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे विभागीय अधिसूचना संख्या 1418/आ0प्र0 दिनांक 17.04.15 के आलोक में स्वयं संतुष्ट हो लें कि 'राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी में ही आती है।' संतुष्ट होने के उपरान्त राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी की घटना के लिए ही राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।**

5 आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक

22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

7 आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। **अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।**

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाय, तो 15.03.2018 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को होगी।

10. इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561/वि0(2) दिनांक–17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/

अपर सचिव

ज्ञापांक–../आ0प्र0, पटना 15, दिनांक-

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/

अपर सचिव

ज्ञापांक–../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक–../आ0प्र0, पटना- 15, दिनांक-

प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक -../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक–..............23................/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 29/5/17

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/5

अपर सचिव